न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–141 / 2026
बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–552 / 2025
अंतर्गत धारा–352, 109, 3(5) बीएनएस एवं 27 आर्म्स एक्ट

06.03.2026 याचिकाकर्ताओं 1. मुन्ना सिंह उर्फ राज कुमार उर्फ मुन्ना कुमार 2. संजीत कुमार 3. मुकेश सिंह उर्फ बुढवा एवं 4. कारू सिंह उर्फ मेघ नाथ सिंह की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत दिनांक 10.02.2026 को अग्रिम जमानत याचिका पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ कुमार तथा अपर लोक अभियोजक को सुना। जोकि अंतर्गत धारा–352, 109, 3(5) बीएनएस एवं 27 आर्म्स एक्ट से संबंधित बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 552 / 2025, दिनांक 11.10.2025, के नामित अभियुक्तगण हैं तथा इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया गया है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि आवेदक–मुन्ना सिंह की ओर से पूर्व में इस न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1255 / 2025 एवं 28 / 2026 को दाखिल किया गया था जिसे दिनांक–16.01.2026 को खारिज किया जा चुका है लेकिन आवेदक–मुन्ना सिंह के द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर नहीं किया गया है। अन्य आवेदकों के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण निर्दोष हैं। इन्हें गलत फंसाया गया है। आवेदकगण ने इस तरह का कोई–भी अपराध नहीं किया है। अभियोजन घटना झूठा एवं मनगढंत है। धारा–109 बीएनएस को छोड़कर अन्य सभी धाराएं जमानतीय हैं। धारा–109 बीएनएस इस मामले में आकर्षित नहीं होता है। शस्त्र अधिनियम की धारा–27 मामले को गंभीर बनाने के लिए लगाया गया है। इसका कोई–भी प्रत्यक्ष या परोक्ष साक्ष्य आवेदकों के विरूद्ध नहीं है। इनका आगे कहना है कि उभयपक्षों के बीच संधि हो गई है, जिससे जमानत का नया आधार बनता है। इस वाद में आवेदकगण के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं तथा कहते है कि इन लोगों के उपर गोली चलाने का आरोप है जोकि सूचक के कमर में लगी है।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन घटना संक्षेप में यह है कि इस वाद के सूचक–अजीत सिंह हैं। इस घटना के दो दिन पूर्व बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था। इसी झगड़े के कारण दिनांक–11.10.2025 को लगभग 11 बजे दिन में बलीराम सिंह के घर के पास झगड़ा हुआ था तो हरवे–हथियार से लैस होकर मुन्ना सिंह, संजीत कुमार, कारू सिंह, मुकेश सिंह उर्फ बुढवा सभी गाली–गलौज करने लगे, मना करने पर सभी

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–141 / 2026
बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–552 / 2025
अंतर्गत धारा–352, 109, 3(5) बीएनएस एवं 27 आर्म्स एक्ट

लगातार

06.03.2026

उग्र हो गए और कमर से पिस्तौल निकालकर जान मारने की नियत से सूचक पर फायर कर दिए। मुन्ना सिंह उर्फ राज कुमार के द्वारा चलाई गई गोली सूचक के बाएं तरफ के कमर में लगी जिससे वह गिर पड़ा और उसके भतीजा–सौरभ कुमार उर्फ गोरे लाल पर भी ताबड़तोड़ गोलिया चलाई जाने लगी जिससे वह बाल–बाल बच गया। दोनों किसी तरह वहां से जान बचाकर भागे और ईलाज–हेतु रेफरल अस्पताल–कल्याण बिगहा उनके परिजनों के द्वारा ले जाया गया।

कांड दैनिकी के कंडिका–2 में वादी का पुनः, ब्यान है जिसमें उसने घटना का समर्थन करते हुए बताया है कि आवेदकों द्वारा उसके उपर फायर किया जाने लगा जिसमें मुन्ना सिंह उर्फ राज कुमार द्वारा गोली चलाई गई जोकि उसके बाएं तरफ कमर में लगी और वे लोग उसके भतीजे पर भी ताबड़तोड़ गोली चलाने लगे लेकिन वह बाल–बाल बच गया। कंडिका–5 में गोली–बारी की घटना का समर्थन किया गया है तथा कहा गया है कि अभियुक्तों के विरूद्ध अंधाधुंध फायरिंग किया जाने लगा और मुन्ना सिंह उर्फ राज कुमार के द्वारा चलाई गई गोली सूचक को लगा। इसी प्रकार कंडिका–7 में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी–रूस्तम कुमार, कंडिका–8 में साक्षी–धीरज कुमार एवं कंडिका–9 में साक्षी–शुभम् कुमार ने भी घटना का पूर्ण समर्थन किया है। कांड दैनिकी कंडिका–69 में सूचक–अजीत सिंह का जख्म–प्रतिवेदन है जिसमें जख्म की प्रकृति को सुरक्षित रखा गया है और 'जख्म फायर आर्म्स का इंज्यूरी' पाया गया है। संधि–पत्र अभिलेख पर मौजूद है लेकिन आरोपित धाराएं अशमनीय प्रकृति की हैं, इनलोगों के विरूद्ध गोली चलाने का आरोप है। ये सभी प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए को आवेदक अभियुक्तगण–1. मुन्ना सिंह उर्फ राज कुमार उर्फ मुन्ना कुमार 2. संजीत कुमार 3. मुकेश सिंह उर्फ बुढवा एवं 4. कारू सिंह उर्फ मेघ नाथ सिंह को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः, प्रस्तुत जमानत आवेदन पुनः, **खारिज** किया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़